<u>न्यायालय उप जिलाधिकारी, सकलडीहा</u>

वाद संख्या– T 2022196127 4/6017

अन्तर्गत धारा–80उ0प्र0राजस्वसंहिता–2006
मौजा–उदरियां पर0 महाईच
तहसील–सकलडीहा जनपद–चन्दौली

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह________बनाम__________सरकार

<u>निर्णय</u>

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुत्र कन्हैया सिंह नि0ग्राम–केरी पर0 महुआरी तहसील सकलडीहा जनपद चन्दौली द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 वर्तमान धारा 80 उ0प्र0रा0 संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आ0नं0 631 मि0 रकबा 0.0.707 हे0, गाटा सं0 631मि0/0.707 हे0, स्थित मौजा उदरियां परगना–महाईच तहसील–सकलडीहा जिला–चन्दौली प्रार्थी की भूमिधरी भूमि है अध्यासन में है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट का नाम बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर में अंकित चला आ रहा है उक्त सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति है जिसमें विद्यालय भवन बना है तथा शेष भाग निर्माणाधीन है, उक्त आराजियात कृषि योग्य नहीं रह गयी है। अन्त में प्रार्थना किये है कि उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाय ताकि न्याय हो। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उद्धरण खतौनी खसरा तथा फोटो ग्राफ प्रस्तुत कराया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सकलडीहा से कराई गयी। तहसीलदार सकलडीहा द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से जांच कराकर अपनी आख्या दि0 09.12. 2021 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी वाद दर्ज रजिस्टर हुआ क्षेत्रिय लेखपाल का बयान अंकित कराया गया जिसमें उक्त भूमि पर स्कूल बने होने तथा कृषि कार्य न होने की पुष्टि की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन/परिशीलन किया गया, पत्रावली में संलग्न उद्धरण खतौनी 1426–1431 फ0 के खाता सं0 00404 गाटा सं0 631मि0/0.707 हे0 स्थित मौजा उदरियां पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है तथा उद्धरण खसरा सन् 1426–1431फ0 में भी उक्त आराजियात पर विद्यालय भवन अंकित है, तहसीलदार सकलडीहा की आख्या दिनांक 09.12.2021 में उल्लिखित किया गया कि उक्त आराजियात पर नव निर्मित स्कूल बना है तथा कुछ भूमि फील्ड के रूप में स्थित है उक्त आराजियात् में कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि मौके पर उक्त भूमि अकृषिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही है, जिसकी पुष्टि क्षेत्रिय लेखपाल द्वारा अपने बयान में की गयी है, ऐसी स्थिति में उक्त उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

<u>आदेश</u>

मौजा–उदरियां परगना–महाईच तहसील–सकलडीहा जनपद–चन्दौली के उद्धरण खतौनी 1426–1431 फ0 के खाता सं0 00404 गाटा सं0 631मि0/0.707 हे0 भूमि गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सकलडीहा को अनुपालन हेतु भेजी जाय तथा एक प्रति निःशुल्क निबन्धन हेतु उप निबन्धक सकलडीहा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 14·12·2021

ह0
(अजय कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी
सकलडीहा [illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सकलडीहा

वाद संख्या-T202215783354231 अन्तर्गत धारा-80उ0प्र0रा0संहिता-2006
मौजा-अटौली प0 महाईच
तहसील-सकलडीहा जनपद-चन्दौली

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह________बनाम__________सरकार

निर्णय

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुत्र कन्हैया सिंह नि0ग्राम-कैथी प0 महुआरी तहसील सकलडीहा जनपद चन्दौली द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 वर्तमान धारा 80 उ0प्र0 रा0 संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आ0सं0 654 रकबा 0.229 हे0. 654/0.229 हे0. स्थित मौजा अटौली परगना-महाईच तहसील-सकलडीहा जिला-चन्दौली प्रार्थी की भूमिधरी भूमि है उपयासन में है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट का नाम बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर में अंकित चला आ रहा है उक्त सम्पत्ति ट्रस्ट का सम्पत्ति है जिसमें विद्यालय भवन बना है तथा शेष भाग निर्माणाधीन है. उक्त आराजियात कृषि योग्य नहीं रह गयी है। अन्त में प्रार्थना किये है कि उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाय ताकि न्याय हो। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उद्धरण खतौनी खसरा तथा फोटो ग्राफ प्रस्तुत कराया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सकलडीहा से कराई गयी। तहसीलदार सकलडीहा द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से जांच कराकर अपनी आख्या दि0 09.12.2021 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी वाद दर्ज रजिस्टर हुआ क्षेत्रिय लेखपाल का बयान अंकित कराया गया जिसमें उक्त भूमि पर स्कूल बने होने तथा कृषि कार्य न होने की पुष्टि की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन/परिशीलन किया गया. पत्रावली में संलग्न उद्धरण खतौनी 1426-1431 फ0 के खाता सं0 00209 गाटा सं0 654/0.229 हे0 स्थित मौजा अटौली पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है तथा उद्धरण खसरा सन् 1426-1431फ0 में भी उक्त आराजियात पर विद्यालय भवन अंकित है. तहसीलदार सकलडीहा की आख्या दिनांक 09.12.2021 में उल्लिखित किया गया कि उक्त आराजियात पर नव निर्मित स्कूल बना है तथा कुछ भूमि फील्ड के रूप में स्थित है उक्त आराजियात् में कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि मौके पर उक्त भूमि अकृषिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही है. जिसकी पुष्टि क्षेत्रिय लेखपाल द्वारा अपने बयान में की गयी है. ऐसी स्थिति में उक्त उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

मौजा-अटौली परगना-महाईच तहसील-सकलडीहा जनपद-चन्दौली के उद्धरण खतौनी 1426-1431 फ0 के खाता सं0 00209 गाटा सं0 654/0.229 हे0 भूमि गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सकलडीहा को अनुपालन हेतु भेजी जाय तथा एक प्रति निःशुल्क निबन्धन हेतु उप निबन्धक सकलडीहा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 15-12-2021

(अजय कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी
15-12-2021
सकलडीहा